बाल विवाह मुक्त भारत
CHILD MARRIAGE FREE INDIA

सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत | SAFE CHILDHOOD, SAFE INDIA

बाल विवाह को लेकर पूछे जाने वाले आम सवाल

1. बाल विवाह क्या है?

जब 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची या फिर 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की शादी होती है तो यह बाल विवाह कहलाता है।ध्यान रहे कि जब कोई 21 वर्ष से ऊपर का युवक/ आदमी किसी 18 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से शादी करता है, तो यह भी बाल विवाह ही कहलायेगा।

2. बाल विवाह कानूनी रूप से वैध है या अवैध?

एक बार बाल विवाह हो जाने के बाद इसे कानूनी रूप से वैध माना जाता है।

3. बाल विवाह जैसे मुद्दे से निपटने के लिए कौन सा कानून है?

बाल विवाह से संबंधित कानून को बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 (पीसीएमए) कहा जाता है।

4. बाल विवाह की रिपोर्ट या शिकायत कौन कर सकता है?

जिस किसी व्यक्ति के पास यह पुख्ता सूचना है कि बाल विवाह हो गया है या होने वाला है, वह शिकायत कर सकते हैं।

5. बाल विवाह की शिकायत कहाँ करें?

बाल विवाह की सूचना निम्न को दी जा सकती है:

- पुलिस
- बाल कल्याण समिति
- कोर्ट
- बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ)
- जिला अधिकारी
- चाइल्डलाइन (1098)

6. पीसीएमए-2006 के तहत 'voidable' का क्या अर्थ है?

Voidable का अर्थ है कि एक बच्चा जिसका बाल विवाह हो चुका है, वह अपने विवाह को समाप्त करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

7. एक बच्चा अपने विवाह को रद्द करने के लिए कहां जा सकता है?

अपने विवाह को रद्द करने के लिए कोई बच्चा जिला अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। बच्चा पुलिस, बाल कल्याण समिति, बाल विवाह निषेध अधिकारी की मदद से अदालत तक पहुंच सकता है।

चाइल्डलाइन, गैर सरकारी संगठन या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चा भरोसा करता है उससे भी मदद ले सकता है।

8. अगर कोई लड़की 18 साल की हो चुकी है, तो क्या वह अब भी अपनी शादी को रद्द कर सकती है?

हाँ, अगर कोई लड़की 18 साल की हो जाती है, तब भी वह 18 साल की उम्र के 2 साल के भीतर अपनी शादी रद्द करवा सकती है। इसका मतलब यह है कि वह 20 साल की होने से पहले अपनी शादी को रद्द करवा सकती है।

9. क्या 18 साल से कम उम्र की लड़की विवाह के तहत रेप की शिकायत कर सकती है? किस कानून के तहत इसे बलात्कार माना जाता है?

हां, अगर लड़की की शादी 18 साल से पहले हो गई है तो वह पुलिस में रेप की शिकायत कर सकती है। यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत किया जा सकता है। 18 वर्ष से कम उम्र के अविवाहित या विवाहित बच्चे के साथ यौन संबंध को बलात्कार माना जाता है।

10. क्या हम बाल विवाह को होने से रोक सकते हैं?

हाँ, हम बाल विवाह को होने से रोक सकते हैं।

11. बाल विवाह को कैसे रोका जा सकता है?

बाल विवाह को रोकने के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय से एक 'निषेध आदेश' अर्थात बाल विवाह को रोकने वाला इंजक्शन आर्डर प्राप्त करके बाल विवाह को रोका जा सकता है। इस दिशा में कोर्ट तक पहुंचने के लिए पुलिस, बाल कल्याण समिति, बाल विवाह निषेध अधिकारी, चाइल्ड लाइन, गैर सरकारी संगठन मददगार हो सकते हैं।

12. बाल विवाह करने/ करवाने के लिए किसे दंडित किया जा सकता है?

जिन लोगों को बाल विवाह करने या करवाने के लिए दंडित किया जा सकता है वे निम्न हो सकते हैं-

- अठारह वर्ष से अधिक आयु का कोई भी पुरुष जो अठारह वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है.
- कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के बाल विवाह करता है या करवाता है जैसे- पुजारी व अन्य शामिल लोग।

- ऐसे व्यक्ति/संगठन जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं या फिर इसके लिए अनुमति देते हैं जैसे माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदार/पड़ोसी/ बिचवांन आदि।
- कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा पारित निषेधाज्ञा आदेश के बाद भी बाल विवाह करता है।

13. बाल विवाह करने पर क्या सजा है?

बाल विवाह करने पर दो साल तक की कैद और/या एक लाख रु तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

14. बाल विवाह किस तरह का अपराध है?

बाल विवाह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।

15. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 किसके विरुद्ध लागू हो सकता है?

इस अधिनियम के प्रावधानों को निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू किया जा सकता है:

- वर, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- पुजारी या विवाह कराने वाला कोई भी व्यक्ति
- माता-पिता/अभिभावक (बाल विवाह की अनुमति देने के लिए)
- बाल विवाह में सहायता करने या उकसाने के लिए रिश्तेदार, अतिथि, पड़ोसी इत्यादि कोई भी जो इसमें शामिल हों।

16. बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन है?

बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है जो अपने क्षेत्र में बाल विवाह को रोकने के लिए जवाबदेह है।

17. बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) के कार्य और कर्तव्य क्या हैं?

सीएमपीओ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:

- बाल विवाह रोकना
- बाल विवाह करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना
- इलाके के निवासियों को सलाह देना कि बाल विवाह न हो, बाल विवाह को बढ़ावा न देने के लिए या फिर इसमें किसी प्रकार की मदद या सहायता करने या अनुमति देने में शामिल न होने को प्रेरित करना।
- इस सामाजिक बुराई और इसके दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करें
- बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना।

18. विवाहित बालिकाओं के क्या अधिकार हैं?

प्रत्येक विवाहित बालिका को उसके पुनर्विवाह तक भरण-पोषण और निवास का अधिकार है।

19. बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों के क्या अधिकार हैं?

बाल विवाह से पैदा होने वाला प्रत्येक बच्चा एक वैध बच्चा है और उसे भरण-पोषण का अधिकार है, उत्तराधिकार आदि जैसे अधिकार भी ऐसे बच्चों को प्राप्त है।

20. बाल विवाह को होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

बाल विवाह को रोकने के लिए, हम निम्न कार्य कर सकते हैं:

- माता-पिता और समुदाय के बीच बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- बाल विवाह की किसी भी घटना की रिपोर्ट करना।
- बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।
- बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए समुदाय के नेताओं को संवेदनशील बनाना।
- ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण एवं कल्याण समिति को सुदृढ़ बनाना।